



भारत सरकार  
कार्यालय उप-महानिदेशक(समन्वय)(उत्तरी क्षेत्र)  
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  
ईस्ट ब्लॉक, रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली-110066  
दूरभाष नम्बर-011-26713788, फ़ैक्स-011-26716097



सं0:12(1)/उप-महा0(सम0)/30क्षे0/2017/ 3254

दिनांक: 8/12/17

सेवा में,

सभी जन सूचना अधिकारी,  
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र तथा नई दिल्ली क्षेत्र,  
के.लो.नि.वि. व लो.नि.वि. के सभी कार्यालय

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री जयपाल सिंह द्वारा सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

श्री जयपाल सिंह का दिनांक 15.11.2017 का आवेदन जन सूचना अधिकारी व अनुभाग अधिकारी ई.सी.-X अनुभाग, महानिदेशालय, के.लो.नि.वि. नई दिल्ली के पत्रांक सं. 36/58/2017/ईसी-10 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 05.12.2017 को प्राप्त हुआ। श्री जयपाल सिंह के दिनांक 15.11.2017 के आवेदन पत्र की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ स्थानांतरित की जाती है, क्योंकि इस पत्र में पैरा 1 से 5 तक आपके कार्यालयों से संबंधित है, अतः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 6(3) के अंतर्गत उपरोक्त सूचना आवेदक को सीधे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाए।

कृपया ध्यान दे कि आवेदक को सूचना में देरी अथवा सूचना को ना भेजने की जिम्मेवारी पूर्णतः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5(4) एवं (5) के अंतर्गत आपकी होगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

*[Handwritten Signature]*  
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- श्री जयपाल सिंह, मकान नं. 8A, गली नं.-1, सेवा सदन, ब्लॉक मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली-110092, आपके दिनांक 15.11.2017 के आवेदन के पैरा 1 से 5 तक सभी जन सूचना अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र तथा नई दिल्ली क्षेत्र, के.लो.नि.वि. व लो.नि.वि. के सभी कार्यालयों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाता है। क्योंकि ये सूचना उन के कार्यालयों से सम्बंधित है और यह कार्यालय भर्ती, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि कार्य देखता है अतः यह सूचना इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपीलीय उप महानिदेशक (समन्वय), उ.क्षे., के.लो.नि.वि., आर. के. पुरम, नई दिल्ली को अपील कर सकते हैं।

*[Handwritten Signature]*  
जन सूचना अधिकारी  
*[Handwritten Signature]*  
D.P.E.O (C) 0-5

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी  
निर्माण महानिदेशक (कार्य)  
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम RTI Act-2005 के तहत मुझे निम्नलिखित जानकारी पैरावाइज़ हिन्दी में देने की कृपा करें।

महोदय

38F

में आपके कार्यालय में ₹0 10 का पोस्टल ऑर्डर सं0134.99 दिनांक 15-11-2017 जमा कराते हुए निम्नलिखित सूचनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ।

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दस्ती रसीद पर कार्यरत मोटर लारी चालकों का वेतन रिवाइज़ का प्रावधान है या नहीं ?
2. और यदि है तो मुझे सातवे वेतन का लाभ किन कारणों से अभी तक नहीं मिला | वर्तमान समय में मैं कड़कड़ूमा कोर्ट मण्डल एम-231 में मोटर लारी चालक के दस्ती रसीद के पद पर कार्यरत हूँ।
3. क्या निर्माण महानिदेशालय के कार्यालय से कोई नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी किया गया ?
4. छठे वेतन आयोग में दस्ती रसीद पर कार्यरत मोटर लारी चालको को परिवहन भत्ते व परिवहन भत्ते पर महंगाई भत्ते का भुगतान किस दर से किया जा रहा था।
5. सातवे वेतन आयोग वेतन आयोग में मिलने वाला वेतन व भत्ते किस दर से देय है। निम्न अनुसार दे

R.T.I. NO 840  
5/12/17 D.P.P. 0/17  
may pl  
reply - fund  
15/11/17

1. वेतन .....
2. परिवहन भत्ता .....
3. परिवहन भत्ते पर महंगाई भत्ता .....
4. महंगाई भत्ता .....
5. मकान भत्ता .....

15-11-17

भवदीय

जयपाल सिंह

(जयपाल सिंह)

मकान नं0 8A, गली नं0 1,  
सेवा सदन ब्लॉक मंडावली,  
फाज़लपुर, दिल्ली-110092

AEI

R.4. J.P. 15-11-2017

pl. sent it to EC X

16/11/17


15/11/17

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया दस रुपये का डाक टिकट



# भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.



पुस्तक कुरापी  
30000000

PAY TO \_\_\_\_\_ को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

**₹ 10**

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

जमपाल सिंह  
सुकम नं० ४ A, गल्ली नं०  
सेना सड़क, बल्लभ मंडावली.

के हाकण में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखें। DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

38F 134997

73 लकी 110092.